भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1080

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

राज्यों के लिए पूंजी निवेश

1080. श्री हरिभाई पटेल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्यों को उपरोक्त सहायता प्रदान करने में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) राज्यों को पूंजी निवेश अनुदान प्रदान करने के लिए उन्हें किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है और क्या जिन राज्यों को धन दिया जा रहा है, वे उन शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय करने में सुस्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता हेतु स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के लिए, स्वीकृत पूंजीगत निवेश का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग): 1.5 लाख करोड़ रु. के परिव्यय के साथ पूंजीगत निवेश 2024-25 के लिए विशेष सहायता हेतु स्कीम की घोषणा केन्द्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। कुल आवंटन में से, स्कीम के भाग-I के अंतर्गत 55,000 करोड़ रु. की राशि शर्तरहित है। राज्यों को यह राशि 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार केन्द्रीय करों और शुल्कों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है। शेष 95,000 करोड़ रु. की राशि अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय नागरिक केन्द्रित क्षेत्रों तथा क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं जैसे, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास; पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन; औद्योगिक विकास को प्रेरित करने; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास करने; राज्य सरकारों द्वारा भूमि

संबंधित सुधारों के लिए प्रोत्साहन; कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण; शहरी योजना सुधारों तथा पूंजीगत व्यय हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के लिए निर्धारित की गई है। व्यय विभाग द्वारा स्कीम के अंतर्गत विशेष सहायता निधियां जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर जारी की जाती है। कुछ सुधार आधारित भागों के मामले में, संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। स्कीम के विभिन्न भागों के अंतर्गत दिये गए दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, किसी राज्य के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना अपेक्षित है:

i. सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के आधिकारिक नाम का पूर्ण अनुपालन।

ii. 31 मार्च, 2024 तक एसएनए खातों में अर्जित ब्याज का केंद्रीय भाग भारत की समेकित निधि में जमा करना।

(घ) और (ङ): पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई वित्तीय सहायता और राज्यों द्वारा उपयोग का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। राज्यों को पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए, राज्यों को उनके स्वयं के संसाधनों से पूंजीगत व्यय में 10% अथवा अधिक की विकास दर को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। साथ ही, आगे की किस्तें जारी किए जाने के लिए, पहले जारी की गयी सहायता का 75% उपयोग करना आवश्यक है।

****

दिनांक 10 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा लिखित प्रश्न सं 1080 के लिए संदर्भित अनुबंध-I

राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश 2024-25 हेतु विशेष सहायता के लिए स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत विशेष सहायता (ऋण)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत राशि (31.01.2025 की स्थिति के अनुसार)**
1	आंध्र प्रदेश	7026.31
2	अरुणाचल प्रदेश	1012.48
3	असम	6424.94
4	बिहार	12907.34
5	छत्तीसगढ़	5884.30
6	गोवा	1268.85
7	गुजरात	5216.78
8	हरियाणा	1127.68
9	हिमाचल प्रदेश	981.50
10	झारखंड	2763.29
11	कर्नाटक	4598.94
12	केरल	1665.70
13	मध्य प्रदेश	10634.69
14	महाराष्ट्र	7076.82
15	मणिपुर	987.13
16	मेघालय	1694.93
17	मिजोरम	792.18
18	नागालैंड	542.83
19	ओडिशा	6915.27
20	पंजाब	1944.37
21	राजस्थान	7580.26
22	सिक्किम	1242.39
23	तमिलनाडु	4925.29
24	तेलंगाना	1916.68
25	त्रिपुरा	1030.99
26	उत्तर प्रदेश	13042.09
27	उत्तराखंड	1247.48
28	पश्चिम बंगाल	9728.93
कुल		**122180.44**

******

मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा लिखित प्रश्न सं 1080 के लिए संदर्भित अनुबंध-II

राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश 2024-25 हेतु विशेष सहायता के लिए स्कीम के अंतर्गत जारी राशि और उपयोगिता

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य**	**जारी राशि (31.01.2025 की स्थिति के अनुसार)**	**राज्यों द्वारा दर्शाया गया उपयोग (31.01.2025 की स्थिति के अनुसार)**
1	आंध्र प्रदेश	6967.71	**1869.81**
2	अरुणाचल प्रदेश	606.02	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
3	असम	6200.18	**870.70**
4	बिहार	11521.87	**2978.89**
5	छत्तीसगढ़	5768.40	**1574.10**
6	गोवा	1185.17	**125.11**
7	गुजरात	4849.85	**981.62**
8	हरियाणा	807.29	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
9	हिमाचल प्रदेश	1050.25	**383.79**
10	झारखंड	1233.74	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
11	कर्नाटक	4795.20	**1473.92**
12	केरल	1272.26	**635.55**
13	मध्य प्रदेश	10166.57	**2849.88**
14	महाराष्ट्र	6404.47	**1749.76**
15	मणिपुर	568.29	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
16	मेघालय	1669.39	**213.00**
17	मिजोरम	630.00	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
18	नागालैंड	462.48	**184.64**
19	ओडिशा	6818.81	**1740.57**
20	पंजाब	1244.47	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
21	राजस्थान	6876.79	**1750.46**
22	सिक्किम	1130.27	**140.58**
23	तमिलनाडु	4958.94	**1884.20**
24	तेलंगाना	1368.21	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
25	त्रिपुरा	812.81	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
26	उत्तर प्रदेश	10795.16	**5346.36**
27	उत्तराखंड	898.56	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
28	पश्चिम बंगाल	9728.93	**3097.08**
कुल		**110792.09**	**29850.02**

******